राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2180/2015

शिव नारायण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, पुलिस, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2015
आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 03.09.2015 अथवा नजदीकी आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए तथा अपीलार्थी का नाम एएसआई की पदोन्नति सूची में जोडा जाए।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.10.1989 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हैड कांस्टेबल के पद की जिला हनुमानगढ की वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2015 जारी की, जिसमें अपीलार्थी

का नाम क्रम संख्या 38 पर अंकित किया गया। विभाग द्वारा वायरलैस में एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु सभी हैड कांस्टेबल को सूचित किया गया, जिसमें तीन वर्ष का अनुभव स्नातक योग्यता वालों से मांगा गया और गैर स्नातक योग्यता वालों से पांच वर्ष का अनुभव हैड कांस्टेबल के पद का मांगा गया। अपीलार्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। विभाग द्वारा उक्त पद के लिए सभी हैड कांस्टेबल की सूची रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध एएसआई पद हेतु जारी की गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुभव पर विचार न करते हुए उसके आवेदन को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2015 जारी करते हुए अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा में पदोन्नति हेतु बैठने के लिए अनुमति दी। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश की पालना न करते हुए अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.एल.सी. 2002 (3) 97 गोकुल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार की गई। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त योग्यात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 03.09.2015 अथवा नजदीकी आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए तथा अपीलार्थी का नाम एएसआई की पदोन्नति सूची में जोडा जाए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेन्ज बीकानेर के पत्र क्रमांक स्पेशल न. 01 से 03 दिनांक 27.06.2007 के द्वारा वर्ष 2005 के लिये जिले में अपीलार्थी को कानि० से हैड कानि पद पर वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति परीक्षण पाठ्यक्रम हेतु पीसीसी दिनांक 03.09.2007 से 08.12.2007 उतीर्ण घोषित होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 7196–7217 दिनांक 20.12.2007 ओ.बी. नम्बर 767 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कानि0 पद पर पदोन्नति दी गई। जिला हनुमानगढ के हैड कानि0 की दिनांक 01.04.15 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम कम सं0 38 पर है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर के पत्र क्रमांक 3249–51 दिनांक 08.08.2015 की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ ने अपने वितन्तु सन्देश क्रमांक 6079–92 द्वारा

सहायक उप निरीक्षक के संभावित रिक्त पदों पर दिनांक 20.08.2015 तक वर्ष 2012–13 के लिए योग्य हैड कानि0 से आवेदन पत्र मांगे गए थे। हैड कानि0 से सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2012–13 के दिनांक 20.08.2015 को प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची श्रीमान पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ द्वारा श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर को जरिए पत्र क्रमांक 6368–69 दिनांक 20.08.2015 द्वारा प्रेषित की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम सं. 12 पर था। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर के पत्र क्रमांक 3284–93 दिनांक 11.08.2015 की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपने वितन्तु संदेश क्रमांक 6262–65 दिनांक 13.08.15 द्वारा वर्ष 2012–13 अन्य पद व हैड कानि0 से सहायक उप निरीक्षक लिखित परीक्षा दिनांक 03.09.15 को आयोजित की जानी प्रस्तावित के सम्बन्ध में दिया गया। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर के पत्र क्रमांक 3548 दिनांक 26.08.15 की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ के वितन्तु सन्देश क्रमांक 6442 दिनांक 27.08.15 जारी किया गया जिसमें वर्ष 2012–13 की हैड कानि0 से सउनि. पद की पदोन्नति लिखित परीक्षा के लिये जारी वितन्तु संदेश में अपीलार्थी का नाम दिनांक 01.04.2012 को हैड कानि0 पद पर पांच वर्ष की सेवा नही होने के कारण नही था। सेवा नियमों के अनुसार नियमित पदोन्नति पीसीसी उत्तीर्ण करने पर ही मानी जाती है। अपीलार्थी की शैक्षिणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी है व दिनांक 01.04.2012 को जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार 2012 के सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रार्थना पत्र में चार साल तीन माह होने के कारण हैड कानि0 पद पर निर्धारित सेवा अवधि अपूर्ण होने के कारण अपीलार्थी को परीक्षा में बैठने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.10.1989 को हुई थी और उसे आदेश दिनांक 20.12.2007 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने हैड कांस्टेबल के पद की जिला हनुमानगढ की वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2015 जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 41 पर अंकित किया गया। विभाग द्वारा वायरलैस में एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु सभी हैड कांस्टेबल को सूचित किया गया, जिसमें तीन वर्ष का अनुभव स्नातक

योग्यता वालों से मांगा गया और गैर स्नातक योग्यता वालों से पांच वर्ष का अनुभव हैड कांस्टेबल के पद का मांगा गया। अपीलार्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। विभाग द्वारा उक्त पद के लिए सभी हैड कांस्टेबल की सूची रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध एएसआई पद हेतु जारी की गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुभव पर विचार न करते हुए उसके आवेदन को निरस्त कर दिया। जहां तक एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु मांगे गए 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को निरस्त किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 24.08.2015 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया और एएसआई के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु गैर स्नातक योग्यताधारी के लिए 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2005–06 से वर्ष 2012–13 तक हैड कांस्टेबल के पद का अनुभव लगभग 6 वर्ष से अधिक का रखता है। जबकि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु मात्र 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस प्रकार अपीलार्थी एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव नहीं रखता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को जिस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था, उस वर्ष से अनुभव की अवधि की गणना की जाकर अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु विचार किया जावे और यदि उक्त परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, आगामी नजदीकी उक्त पद हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे और यदि अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)